

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(46)वित्त/कर/2024

जयपुर, दिनांक 10-02-2025

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के अधीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद की विभिन्न वर्षों हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERRED CASES) की बैठक दिनांक 08.01.2025 में की गई अभिशंभा पर निम्नांकित कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री विवेकानन्द आर्य	अजा	2017-18	रिक्ति दिनांक 01.04.2017, वरीयता कम में इनका नाम श्री मनोज गोरा, अजा के नीचे व श्री शंकर लाल रैगर, अजा के ऊपर रहेगा।
2	श्रीमती रेणु शर्मा		2022-23	रिक्ति दिनांक 13.04.2022, वरीयता कम में इनका नाम श्रीमती वीना शर्मा के नीचे व श्रीमती अल्पना पाठक के ऊपर रहेगा।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक कमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(कुमार पाल गौतम)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

CS

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)